

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## -:: कार्यालय आदेश ::-

माननीय न्यायालय की या.सं. 5932/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.17 की पालना में श्री रामवतार शर्मा व्याख्याता अर्थशास्त्र राउमावि बूढ (चित्तौडगढ) ने दिनांक 18.05.17 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवास के निकट अलवर जिले में पदस्थापन करने हेतु निवेदन किया है।

श्री रामवतार शर्मा को आर.पी.एस.सी. चयनित होने पर राउमावि बूढ (चित्तौडगढ) पदस्थापित किया गया। माननीय न्यायालय ने मोनिका मील प्रकरण का उदाहरण देकर अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मोनिका मील का पद तृतीय श्रेणी का पद है श्री शर्मा व्याख्याता पद पर कार्यरत है। व्याख्याता पद राज्य स्तर का पद है। व्याख्याता का पदस्थापन छात्र हित में राज्य में कहीं भी पदस्थापन किया जा सकता है। श्री शर्मा वर्तमान में प्रोबेशन काल में भी कार्यरत है। श्री शर्मा का पदस्थापन संशोधन नहीं किया जा सकता अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारण किया जाता है। समस्त सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/अभ्यावेदन/2017  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक 09-06-2017.

1. विधि अनुभाग को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की या.सं. 5932/17 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.17 के क्रम में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
3. श्री रामवतार शर्मा व्याख्याता राउमावि बूढ, तह. गंगरार (चित्तौडगढ)
4. गार्ड पंजिका

कम्प्यूटर अनुभाग



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर